तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5337/2004/उदयपुर खुमानसिंह बनाम राजेन्द्र कुमार	नम्बर व तारीख

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री वी.एस. राठैड, अधिवक्ता, अपीलार्थी

श्री मुकेश जैन एवं श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 16–11–2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या–1 को ग्राम सायरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 4715/4266 रकबा 0.0250 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 4714/4267 रकबा 0.0300हैक्टयर कुल किता दो कुल रकबा 0.0550हेक्टयर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04–06–1999 को आवंटित की गयी। इस आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–02–2003 से प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या–1 ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–08–2004 से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 4–6–1999 को बहाल कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5337/2004/उदयपुर खुमानसिंह बनाम राजेन्द्र कुमार	नम्बर व तारीख
	हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि राजेन्द्र कुमार ग्राम सायरा में नहीं रहता, ना ही वह काश्तकार है वह तो सूरत में रहकर व्यापार करता है और कलक्टर द्वारा आवंटन सही रूप से निरस्त किया था। दोनों पक्षों के मध्य भूमि आवंटन के समय पुलिस कार्यवाही भी हुई है। रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश अपास्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट सूरत में व्यापार करता है, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है बल्कि गांव का ही राशनकार्ड, वोटर लिस्ट बने हुए है। उसके पास 0.0800 हैक्टयर भूमि पहले से ही है और सद्भावी काश्तकार है। केवल मात्र जाति से महाजन होने के आधार पर ही उसे काश्तकार नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को सद्भावी काश्तकार मानते हुए चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र को यह भूमि आवंटित की गयी थी और पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार उसके पास 0.0800हैक्टयर भूमि पहले से ही थी। खुमान सिंह के हक में जो आवंटन किया गया था वह आवंटन निरस्त किया जा चुका है और उस पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी तथ्य अभिलेख पर है कि रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र ने नोहरा बना कर दीवार बना रखी है और पूर्व से ही इस भूमि पर आवंटी का कब्जा था और वह सद्भावी काश्तकार है। इन सम्बन्ध में शपथपत्र भी पत्रावली में मौजूद है जिसमें रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र को ग्राम का निवासी होना और काश्त करना बताया है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5337/2004/उदयपुर खुमानसिंह बनाम राजेन्द्र कुमार	नम्बर व तारीख
	और पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि आराजी खसरा नम्बर 4266 में से रकबा 0.0250 हैक्टयर व खसरा नम्बर 4267 में रकबा 0.0300हेक्टयर कुल रकबा 0.0550 हैक्टयर पर राजेन्द्र का कब्जा है और जिस पर चार दीवारी बना कर फाटक लगी हुई है और खसरा गिरदावरी में उडद की फसल बोना भी दर्शाया गया है, अर्थात् आवंटी काश्तकार है। इन सभी तथ्यों पर विस्तृत विवेचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में की गयी है। अतः ऐसी में अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है और अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	